वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाक तहसीलदार मण्डावर को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाक आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 155, 564, 565 कुल किता 3 रकबा 1.4 हैक्टयर का खातेदारों के मध्य हिस्सा व कब्जा के अनुसार विभाजन स्कीम तैयार की जाकर विभाजन स्कीम मय ट्रेस तीन प्रतियों में दिनांक 24–01–2020 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। तहसीलदार मण्डावर को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं अपनी उपस्थिति में विभाजन स्कीम तैयार करवा कर अपने हस्ताक्षरों से विभाजन स्कीम प्रस्तुत करें। विभाजन स्कीम पर प्रति हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया जावेगा। पत्रावली बइन्तजार विभाजन स्कीम दिनांक 24–01–2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

24/1/20 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित / पी ओ साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते प्रतीक्षा दि 2-3-20 को पेश हो।

दिनांक 02–03–2020

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर से विभाजन स्कीम प्राप्त हो चुंकी है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। विभाजन स्कीम के अनुसार दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
महवा (दौसा)